तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक हुक्म में ज
05/3/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 28/2/20 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रकरण में कार्यवाही नहीं चलाकर प्रकरण का खारीज किया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस को तथा पुनः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जावे कि वकील प्रार्थी का वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 312 BNSS 2023 विशेष में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे।	

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
रांशमी

Scanned by CamScanner